राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

विषय :– गत वर्षों के पूर्ण एवं प्रगतिरत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 के 13073 आवास, वर्ष 2012–13 के 20947 आवास, वर्ष 2013–14 क 45001 आवास एवं वर्ष 2014–15 के 87870 आवास कुल 166891 आवास अपूर्ण/प्रगति पर है। योजनान्तर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं की भूमि पर स्वयं के द्वारा आवास निर्माण किया जाता है। राज्य की भौगोलिक परिस्थिति एवं स्वयं की भूमि पर निर्माण के मद्देनजर सामान्तयाः प्रतिव्यक्ति द्वारा 10 आवास प्रतिदिन का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। इस आधार पर पंचायत समिति/ग्राम पंचायतवार अपूर्ण/प्रगतिरत आवासों की संख्या जो कि आवाससॉफ्ट पर ऑनलाईन उपलब्ध है के आधार पर तथा जिनका सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2015–16 की प्रथम छः माही में नहीं हुआ है, का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत माह जनवरी में प्रस्तावित सामाजिक अंकेक्षण के साथ–साथ इन्दिरा आवास योजना के गत वर्षों के पूर्ण एवं अपूर्ण आवासों जिनका सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2015–16 की प्रथम छः माही में नहीं हुआ है एवं 30 सितम्बर, 2015 तक निर्मित आवासों का सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन वर्ष 2015–16 की द्वितीय छः माही के सामाजिक अंकेक्षण के साथ करवाया जाना सुनिचिश्त करावें, साथ ही ग्राम पंचायतों के मद्देनजर सामाजिक अंकेक्षण दल की अवधि आवासों की संख्या के अनुसार बढा ली जावें।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

निदेशक,
सामाजिक अंकेक्षण,
जयपुर।

अ.शा. टीप क्रमांकः पं. 27(63)ग्रावि–5/इ.आ./सामाजिक अंकेक्षण/पार्ट–II/2015–16
जयपुर, दिनांक 22 दिसम्बर ,2015